न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 212/2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/397

दायर दिनांक :– 29.07.2025 निर्णय दिनांक :– 27.04.2026

1. फरसाराम पुत्र मुल्तानाराम जाति मेघवाल निवासी तनोट बस्ती तहसील बाप जिला फलोदी
2. हंसाराम पुत्र गुमानाराम जाति मेघवाल निवासी तनोट बस्ती तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. कलाराम पुत्र नथाराम जाति मेघवाल निवासी तनोट बस्ती तहसील बाप जिला फलोदी
2. कोजी पुत्री दमाराम जाति मेघवाल निवासी तनोट बस्ती तहसील बाप जिला फलोदी
3. खेमाराम पुत्र दमाराम जाति मेघवाल निवासी तनोट बस्ती तहसील बाप जिला फलोदी
4. गवरी पत्नी दमाराम जाति मेघवाल निवासी तनोट बस्ती तहसील बाप जिला फलोदी
5. चुनाराम पुत्र नथाराम जाति मेघवाल निवासी तनोट बस्ती तहसील बाप जिला फलोदी
6. दानाराम पुत्र नथाराम जाति मेघवाल निवासी तनोट बस्ती तहसील बाप जिला फलोदी
7. पपुराम पुत्र दमाराम जाति मेघवाल निवासी तनोट बस्ती तहसील बाप जिला फलोदी
8. मैना पुत्री दमाराम जाति मेघवाल निवासी तनोट बस्ती तहसील बाप जिला फलोदी
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1.श्री सिकन्दरखां मंगलिया अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री पप्पुराम मेगवाल अधि. अ.सं. 1 ता 8
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:निर्णयः–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आषय से पेश किया है कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 104 के पास मुल्तानाराम की ढाणी बसी हुई है उक्त ढाणी में लगभग 20–25 रहवासीय ढाणियां, पानी के टांके व पशुओं के लिये बाडत्रे इत्यादि बना रखे है। प्रार्थीगण मुल्तानाराम की ढाणी में बनी रहवासीय ढाणियों में प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। मुल्तानाराम की ढाणी क चिपते अप्रार्थी संख्या 9 की भूमि खसरा नम्बर 104 तथा इसके बाद अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 100 रबा 1.0926 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 99/1 रकबा 5.1962 हैक्टेयर भूमि ग्राम तनोट बस्ती पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में आई हुई है। प्रार्थीगण अपनी रहवासी ढाणियों से लेकर खसरा नम्बर 106/2 में स्थित राजकीय प्राथमिक विधालय तनोट बस्ती तक आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

9 की भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 19.9267 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 100 रकबा 1.0926 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 99/1 रकबा 5.1962 हैक्टेयर भूमि में से रास्ता हेतु उपयोग में ली जा रही है, प्रार्थीगण की ढाणियां एवं विधालय तक आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई नजदीक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 के खेत में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग किया जाता रहा है लेकिन अब वर्तममान में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में उपयोग लिया जा रहे रास्ते को बंद करने पर आमादा है। वतमान में प्रार्थीगण को अपनी रहवासीय ढाणियों एवं कब्जसुदा खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ते का विकल्प उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 के खेत से राजकीय प्राथमिक विधालय स्थित है जिस विधालय तक पहुंच के लिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 की और से अधिवक्ता श्री पप्पुराम मेगवाल ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 9 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने उपस्थित होकर कथन किया कि आवेदित खसरा नम्बर 104 गै.मु.मगरा है प्रार्थीगण अतिक्रमी की हैसियत से रास्ता पाने के अधिकारी नहीं है। पत्रावली में बहस सुनी गई।

तहसीलदार बाप की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–क "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना – (1) जहां–

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिचांई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उनका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है,

Satya-
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

तो आदेश के द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह के कम से कम तीन फुट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा, जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट में से होकर एक नया मार्ग जो 30 फुट से अधिक चौड़ा नहीं, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को 30 फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिस में से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा किये जाने का अधिकार मंजूर किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा

(2) जहां उपधारा 1 के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में से अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जावेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में से ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखत कर दी जायेगी

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा 1 में से निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में जिस में होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेगे।

इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 आवेदन की जांच और निपटान– प्रारूप 1 में आवेदन प्राप्त होने पर उप–विभागीय अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या निरीक्षक भूमि अभिलेख के पद से नीचे के अधिकारी से निरीक्षण कराएगा और प्रभावित व्यक्तियों से आपतियां आंमत्रित करेगा। उप विभागीय अधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, जैसा वह आवश्यक समझे यदि सन्तुष्ट हो जाता है कि–

(1) आवश्यकता परम आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक आन्नद के लिए नहीं है तथा,

(2) विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर नये रास्ते के मामले में, जिसमें पहुंच के वैकल्पिक साधनों का अभाव साबित हो जाता है, आवेदन को स्वीकार कर सकता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया –

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ता मौजूद है अथवा नहीं।
3. नया मार्ग लघुतम रूट है या नहीं।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा का अवलोकन एवं तहसीलदार बाप के कथनों पर मनन करने से प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम तनोट बस्ती के खसरा नम्बर 106/2 में स्थित राजकीय प्राथमिक विधालय तनोट बस्ती तक आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 की भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 19.9267 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 100 रकबा 1.0926 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 99/1 रकबा 5.1962 हैक्टेयर भूमि में सु रास्ते की मांग की गई थी। तहसीलदार कथनों अनुसार आवेदित खसरा नम्बर 104 गै.मु.मगरा है प्रार्थीगण अतिक्रमी की हैसियत से रास्ता पाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी जोत तक पहुंच हेतु कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया है कि प्रार्थीगण किस खसरा नम्बर में आवागमन हेतु रास्ते का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–क में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी खातेदार "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना** – चूंकि प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी के खसरे का उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया हैं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीनों बिन्दुओं का विवेचन करने के पश्चात प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya

(सत्य नारायण, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)